भण्डारण करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं । इस सेवा के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम भण्डारण प्रभार होता है । अपनी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भण्डारण निगम ने जून, 1992 के दौरान तीन निजी कम्पनियों के साथ 6,14,574 वर्ग फुट क्षेत्र के अपने भाण्डागारों में उनकी वस्तुओं उत्पादों का भण्डारण करने के लिए विशेष करार किए थे । यह व्यवस्था की गई है कि यद्यपि गोदाम कम्पनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे लेकिन इन गोदामों की सुरक्षा की व्यवस्था केंद्रीय भण्डारण निगम द्वारा की जाएंगी । गोदामों में दोहरे ताले की प्रणाली के अधीन स्टाक रखा जाएगा जिसमें से एक चाबी केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास और दूसरी चाबी जमा-कर्ताओं के पास रहेगी । स्टाक का बीमा करवाने और हिसाब-किताब रखने की व्यवस्था कम्पनी द्वारा स्वयं की जाएगी । ऐसी भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध करने से निगम 12,46,690 रुपये प्रति मास अर्जित कर सका है । निगम ने इस विशेष योजना में अन्य कम्पनियों में भी दिलचस्पी पैदा करने की योजना बनाई है । उपर्युक्त के अनुसार गोदामों का इस्तेमाल करने की इजाजत देते समय निगम द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है कि खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए भण्डारण स्थान की कमी न हो ।

उत्तर प्रदेश में नए चीनी मिल स्थापित किया जाना

6075. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश से नए चीनी मिल की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के प्रस्ताव के संबंध में 31 मार्च, 1994 तक कोई आशय-पत्र जारी किया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से 31-3-1994 तक 306 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ग) चीनी वर्ष 1993–94 के दौरान 31 मार्च, 1994 तक उत्तर प्रदेश राज्य में 25 आशय-पत्र जारी किए गए हैं ।

नष्ट हुए खाद्यान्नों की मात्रा

6076. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण तथा लाने-ले-जाने के दौरान भारी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991–92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट हुए और निगम की आर्थिक लागत '(इकोनॉमिक कॉस्ट) के आधार पर की गई गणना के अनुसार नष्ट हुए खाद्यान्नों की लागत कितनी थी ;

(ग) क्या सरकार नष्ट हुए खाद्यानों की इस मात्रा को उपयुक्त मानती है ;

(घ) यदि हां, तो, इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और;

(ङ) यदि नहीं, तो खाद्यान्नों की नष्ट होने वाली मात्रा में कमी लाने हेतु इन वर्षों के दौरान निगम ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों की विशलता को देखते हुए

खाद्यान्नों की भण्डारण और मार्ग के दौरान कुछ हानियां अवश्य ही हो जाती हैं ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को अधिग्रहण लागत के आधार पर 1991-92 और 1992-93 के दौरान गेहूं, चावल और धान के संबंध में भण्डारण और मार्ग के दौरान हुई हानियों की मात्रा और मूल्य की स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	मात्रा (लाख मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1991-92	5.90	219.70
1992-93	5.02	223.33

वर्ष 1993–94 से संबंधित आंकड़ें इस वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप दे देने के बाद ही उपलब्ध होंगे ।

(ग) और (घ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने गेहूं और चावल के संबंध में निम्नानुसार मार्गस्थ और भण्डारण मानदण्ड तय किये हैं :—

	वितरण परिचालन	बफर स्टाक परिचालन
	बेची गई मात्रा पर प्रतिशतता	औसत बफर स्टाक पर प्रतिशतता
गेहूं		
(1) मार्गस्थ हानियां	0.75%	
(2) भण्डारण हानियां	0.05%	0.15%
जोड़ :	0.80%	0.15%
चावल		
(1) मार्गस्थ हानियां	0.75%	
(2) भण्डारण हानियां	0.33%	1.00%
जोड़ :	1.08%	1.00%

1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान मार्गस्थ और भण्डारण हानियां निम्नानुसार रही हैं :—

	1991-92	1992-93
मार्गस्थ हानियां : (भेजी गई मात्रा की प्रतिशतता)	1.88	1.65
भण्डारण हानियां (जारी की गई मात्रा की प्रतिशतता)	0.39	0.38

सरकार इस स्थिति के प्रति जागरूक है और इसने मार्गस्थ हानियों को कम करने और इन्हें औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के मानदण्डों के अन्दर लाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश दे दिए हैं ।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम ने हानियों को रोकने/कम से कम करने के लिये कई एक उपाय किए हैं । भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस संबंध में किए गए कुछेक महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) गोदामों में तोल-सेतु लगाना ;

(2) बोरियों की मशीन से सिलाई करवाने को प्रोत्साहित करना ;

(3) गतिमान वैगन तोल-सेतु लगाना ;

(4) प्रत्येक बोरी में भरे जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा में कमी करना ;

(5) डिपुओं में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने, अचानक निरीक्षणों में तेजी लाने, नियमित रूप से स्टाक का सत्यापन करने आदि जैसे प्रशासनिक उपाय करना ।

Counselling centres for drug addicts in Arunachal Pradesh

6077. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have introduced a programme for the eradication of 'Opium' abuse as a part of curriculum as well as in extracurricular activities as an indirect means to create awareness among the opium addiction in the country;

(b) how much amount of money has been spent on such programmes and other creative programmes in Arunachal Pradesh during the last two years; and

(c) how many patients are taking the help of counselling centres and creative treatment in the State ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) According to the information furnished by UGC, the Commission has drawn up an Action Plan which, *inter-alia*, contemplates introduction of a self-study course on drug about in all Universities and Colleges. The Action Plan has been forwarded to all the universities for their comments so that some of action could be initiated by the Commission from the academic session 1994-95.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Uniform educational services in the country

6078. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to introduce Indian Educational Services throughout the country on the lines of Civil Services and have invited views of State Government in this regard;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAM RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (c) The Programme of Action (POA) 1992 provides for the establishment of an Indian Education Service as an essential step towards promoting a national perspective on management of education. States have been requested to follow up the POA.

Pitiable condition of Tabla Maestro Shri Samta Prasad

6079. SHRIMATI KAMLA [illegible]
DR. BAPU K[illegible]

Will the M
URCE DEVE
state:

(a) whether G
been drawn to th